


1 अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो रामेश्वर राव, डॉ. श्री राघ कव्हेकर कोषी, महाविद्यालय जवा (म.प्र.)  
 2 वर्तमान पारित पर आर. विद्युत विभाग  
 3 वर्तमान वेतन- 15600 + 6000 आगती वेतनवृद्धि की दिनांक 1 जुलाई

उस जिले का नाम तथा सम्पत्ति का नाम	उपलब्ध नाम का नाम	वर्तमान मूल्य	यदि राय के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर पारित है। और उसका प्रासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसके किस प्रकार अधिगत किया गया, खरीदपट्टा, कमाऊ, बिससत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिगत की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिग्रहण
1	गृह तथा अन्य भवन	3 रुफ्ट	15 रुफ्ट	15 रुफ्ट	15 रुफ्ट	2016-17
2	15 रुफ्ट	60 रुफ्ट	60 रुफ्ट	60 रुफ्ट	60 रुफ्ट	2017-18
3	30 रुफ्ट	22 रुफ्ट	22 रुफ्ट	22 रुफ्ट	22 रुफ्ट	2018-19

- 1 जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- 2 ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही नियंत्रण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाये।
- 3 इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- 4 टिप्पणी- मजदुरासक्तिय सेवक (आवरण) नियम 1959 के नियम 18(3)क अधीन प्रधानश्रेणी/द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के पर्यंत यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके सम्पत्ति की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर व उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंकाक कर उसके द्वारा पारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के व्यौरा दें।

2019-20 — निरंक

हस्ताक्षर   
 नाम- रामेश्वर राव  
 पदनाम आचार्य विद्युत विभाग